संशोधित

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 45 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : मई 09 ,2017

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु संशोधित सूचना

शासनादेश सं0–715/86–2017–57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद बांदा के रिक्त 10 बालू/मोरम के खनन क्षेत्रो को 06 माह की अल्प अवधि हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परमिट स्वीकृत करने हेतु विज्ञप्ति सं0–44/खनिज–30, बांदा दिनांक 01.05.2017 जारी की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2017 के क्रमांक–01 व 02 में उल्लिखित ग्राम–भूरेड़ी को कतिपय कारणो से ई–निविदा आमन्त्रण हेतु जारी विज्ञप्ति से पृथक किया जाता है। अब मात्र 08 खनन क्षेत्रो (क्रमांक–03 लगायत 10) में ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। शासनादेश सं0–906/86–2017–57(सामान्य)/2017टीसी लखनऊ दिनांक 05.05.2017 के अनुसार ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के प्रमाणिक एजेन्सी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा ई–निविदा पोर्टल में तकनीकी कठिनाई आ जाने के कारण डाटा अपलोड कराने आदि की कार्यवाही नियत समय पर पूर्ण कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। अतः शासनादेश दिनांक 05.05.2017 के अनुक्रम में निविदा प्राप्त करने/ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदाकार के द्वारा निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 18.05.2017 सांय 05:00 बजे तक नियत की जाती है। निविदाकार को दिनांक 19.05.2017 को अपरान्ह 12:30 बजे के पूर्व अपलोड किये गये अभिलेखो की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट खनिज कार्यालय में जमा करना होगा तथा निविदा दिनांक 19.05.2017 को सांय 03:00 बजे गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक : 45 /खनिज–30, बांदा तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
4. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।
7. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को दो दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बांदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
9. प्रभागीय वन अधिकारी जनपद बांदा।
10. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बांदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11. खान अधिकारी, बांदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बांदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
बाँदा।